पीत पत्र के बदले।

संचिका संख्या–05/बी09–02/17

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना
राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम लिमिटेड
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण
निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद,
निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद,
निदेशक, उच्च शिक्षा
निदेशक, जन शिक्षा
निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

कृपया मुख्य सचिव, बिहार, पटना का ज्ञापांक–5819 दिनांक–19.08.2017 की छायाप्रति, अनुलग्नक की छायाप्रति सहित संलग्न करते हुए कहना है कि विहित प्रपत्र में आंकड़ों/तथ्य अंकित करते हुए दिनांक–28.08.2017 को 1.00 बजे अपराह्न तक निश्चित रूप से बजट शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि समेकित सूचना प्रधान सचिव, वित्त विभाग को निर्धारित तिथि के अंदर भेजा जा सके।

2. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
(रॉबर्ट एल०चोंग्थू),
सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 135 पटना, दिनांक– 25/8/17

प्रतिलिपिः–आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.8.17
(रॉबर्ट एल०चोंग्थू),
सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

अंजनी कुमार सिंह, भा०प्र०से०
मुख्य सचिव
Anjani Kumar Singh, I.A.S.
Chief Secretary

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना - 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Main Secretariat, Patna - 800 015
Tel. No. : 0612-2215804 (O), Fax : 0612-2217085
E-mail : anjani41@yahoo.com

संचिका सं०- एम०4-07/2017 (स्पष्ट) वि०/-

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक..............

विषयः- बैंक खातों में संचित राशि की समीक्षा कर प्रतिवेदित करने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया वित्त विभाग के पत्रांक 130/वि० दिनांक 09.01.2002, पत्रांक 1881/वि० दिनांक 06.03.2002, पत्रांक 4349/वि० दिनांक 12.05.2015, पत्रांक 5742/वि० दिनांक 30.06.2015, पत्रांक 5268/वि० दिनांक 16.06.2015 एवं पत्रांक 3149/वि० दिनांक 26.03.2015 का कृपया संदर्भ करना चाहेंगे । उक्त परिपत्रों के माध्यम से सरकारी धन राशि को बैंक खाते में संचित किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे । संक्षेपतः वैसी योजनाओं, जिनकी मार्ग-दर्शिका के अनुरूप बैंक खाते में राशि का संचय किया जाना विहित हो, उनके मामलों में बैंक खाता संचालन स्वीकार्य है । इसके अतिरिक्त मामलों में वित्त विभाग की विशिष्ट अनुमति प्राप्त कर ही बैंक खाता खोला जाना है । यह भी बार-बार संसूचित किया गया है कि निकट भविष्य में होने वाले व्यय के विरूद्ध ही समेकित निधि से अथवा पी0एल0/पी0डी0 खातों से राशि की निकासी कर बैंक खाते में रखी जाय ।

2. इस संबंध में वित्त विभाग के पत्रांक 5593 दिनांक 11.08.2017 का भी कृपया संदर्भ करें जिसके द्वारा कार्यालय में संधारित सभी बैंक खातों से अद्यतन बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त कर रोकड़-वही का मिलान कर सत्यापन नियमित रूप से करते रहने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं ।

3. आप अवगत हैं कि भागलपुर जिले में बैंक खातों में संचित राशि के संधारण के कारण ही जालसाजी द्वारा धोखाधड़ी एवं सरकारी राशि की अवैध निकासी की घटना प्रतिवेदित की गई है । अतः यह आवश्यक है कि वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्रों के आलोक में जिलों में संधारित सभी बैंक खातों की सूक्ष्मतः

प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग
बिहार पटना
दैनिक पंजी संख्या 12393
दिनांक 22/8/17

जांच कर ली जाय । इस संबंध में निदेशित किया जाता है, कि जिलों में सभी स्तरों पर धारित प्रत्येक बैंक खातों की समीक्षा हो तथा प्रत्येक बैंक खाते में राशि संचित रखने से संबंधित निर्णय वित्त विभागीय अनुदेश के अनुसार है अथवा नही इसकी भी समीक्षा कर ली जाय । साथ ही, जिलों में सभी विभागों के अधीन संधारित बैंक खातों की समीक्षा संबंधित कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी करेंगे और जिलाधिकारी इस निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इसका सतत् अनुसरण करें ।

4.(i) सर्वप्रथम यह सुनिश्चित किया जाना है कि संधारित बैंक खातों एवं उसमें संचित राशि के संबंध में अद्यतन सूचना संलग्न **प्रपत्र-A** में दिनांक 28.08.2017 तक प्रधान सचिव, वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।

(ii) पुनः **प्रपत्र-B** में दिनांक 04.09.2017 तक यह सूचना उपलब्ध करा दी जाय, कि किन-किन बैंक खातों को आगे चालू रखना है ।

(iii) जिन बैंक खातों की आवश्यकता नही है, उन्हें विधिवत रूप से बन्द किया जाय ।

(iv) जिन बैंक खातों का संचालन बंद किया गया है, उनमें संचित राशि समेकित निधि अथवा पी०एल०/पी०डी० खाते में जमा करने की समस्त कार्रवाई दिनांक 11.09.2017 तक पूर्ण कर वित्त विभाग को संलग्न **प्रपत्र-C** में सूचित कर दिया जाय ।

(v) बैंक खातों को बंद करने के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाय, कि जिस तिथि को बैंक खाते बंद किया जा रहा है, उस तिथि तक उद्भूत सूद समेत अंतःशेष उसमें दर्शाते हुए बैंक खाता वास्तव में बंद कर दिया गया है, एवं इस आशय का लिखित प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय ।

(vi) स्पष्ट किया जाता है, कि इस उपक्रम में ग्राम पंचायतों, सरकारी विद्यालयों अथवा आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा संधारित बैंक खाते सम्मिलित नहीं होंगे ।

उपरोक्त अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

अनु० प्रेषित

विश्वासभाजन

ह०/

(अंजनी कुमार सिंह)

ज्ञापांक:-...5819...../वि०   पटना, दिनांक....19.8.17

प्रतिलिपि:-सभी प्रधान सचिव/सचिव को इस निदेश के साथ प्रेषित कि

i) सभी जिलों में विभागीय राशि से संबंधित संधारित बैंक खातों की समीक्षा उपरोक्त निदेशों के आलोक में कर अनुपालन प्रतिवेदन वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

ii) विभाग/मुख्यालय स्तर पर संधारित बैंक खातों की समीक्षा भी उपरोक्त निदेशों के आलोक में कर अनुपालन प्रतिवेदन वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय ।

19/8/17

(अंजनी कुमार सिंह)

(3)

प्रतिवेदन समर्पित करने की निर्धारित तिथि-28.08.2017

प्रपत्र-A

प्रखंड/अनुमंडल/जिला कार्यालय के बैंक खाते में संधारित राशि की विवरणी

कार्यालय का नाम :-

कोषागार का नाम :-

विभाग का नाम :-

क्र0	बैंक एवं शाखा का नाम	खाता संख्या	31.03.2017 तक खाते में संधारित राशि	01.04.2017 से अद्यतन जमा राशि	बैंक खाते में संधारित राशि के मद का विवरण	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
कुल (कॉलम-3, 4, 5 एवं 7 के लिये)						

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरणी में उल्लेखित बैंक खातों में संधारित राशि कार्यालय अभिलेख/रोकड़ पंजी/बैंक खाते में शेष राशि के समाशोधन के आधार पर दिया गया है । यह भी प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त विवरणी में अंकित बैंक खातों के अतिरिक्त अन्य कोई बैंक खाता संधारित नहीं है ।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रतिवेदन समर्पित करने की निर्धारित तिथि-04.09.2017

प्रपत्र-B

प्रखंड/अनुमंडल/जिला कार्यालय के बैंक खाते में संधारित राशि की विवरणी

कार्यालय का नाम :-

कोषागार का नाम :-

विभाग का नाम :-

क्र0	बैंक एवं शाखा का नाम	खाता संख्या	31.03.2017 तक खाते में संधारित राशि	01.04.2017 से अद्यतन जमा राशि	बैंक खाते में संधारित राशि के मद का विवरण	कुल राशि	बैंक खाता को आगे चालू रखना है अथवा बन्द किया जाना है
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल (कॉलम-3, 4, 5 एवं 7 के लिये)							

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरणी में उल्लेखित बैंक खातों में संधारित राशि कार्यालय अभिलेख/रोकड़ पंजी/बैंक खाते में शेष राशि के समाशोधन के आधार पर दिया गया है । यह भी प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त विवरणी में अंकित बैंक खातों के अतिरिक्त अन्य कोई बैंक खाता संधारित नहीं है ।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रतिवेदन समर्पित करने की निर्धारित तिथि-11.09.2017

प्रपत्र-C

प्रखंड/अनुमंडल/जिला कार्यालय के बैंक खाते में संधारित राशि की विवरणी

कार्यालय का नाम :-

कोषागार का नाम :-

विभाग का नाम :-

क्र0	बैंक एवं शाखा का नाम	खाता संख्या	31.03.2017 तक खाते में संधारित राशि	01.04.2017 से अद्यतन जमा राशि	बैंक खाते में संधारित राशि के मद का विवरण	कुल राशि	बैंक खाता का संचालन बन्द कर राशि समेकित निधि अथवा पी0एल0/पी0डी0 खाता में जमा की गयी है
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल (कॉलम-3, 4, 5 एवं 7 के लिये)							

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं मुहर